(68)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प

MA. 5509-PT/16

रीवा म0प्र0

विलोपित / विलोपित

विलोपित / विलोपित

बसंती देवी त्रिपाठी तनय श्री कामता प्रसाद त्रिपाठी उम्र 66 वर्ष निवासी ग्रा बीरखाम तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 --निगरानीकर्ता/आवेदिका

बनाम

मिथिलेश कुमारी पत्नी दिनेश द्विवेदी उम्र 42 वर्ष पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम बीरखाम तहसील सेमरिया, थाना सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

--गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक

आवेदिका की ओर से श्री अनुज पाठक एड० द्वारा पेश / 25.11.16

25.11.16

कार्यालय कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

आवेदन पत्र रिवीजन कमांक आर 5315-2/2016 मे पारित अदम पैरवी मे खारिज आदेश दिनांक 27.10.2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुर्नस्थापित कर दायरा तर्क सुनकर आगे विधि अनुसार कार्यवाही किए जाने।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3)म.प्र.भू.रा.सं.

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न हैं:-

1.यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण निगरानी कमांक आर 5315-2/2016 माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क के लिए दिनांक 27.10.16 को नियत था जिसमे अधिवक्ता की अनुपस्थिति मे प्रकरण अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–M.5509–II/16 जिला–रीवा

बसन्तीदेवी त्रिपाठी/मिथिलेश कुमारी

(1)	(2)	(3)
22.03.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	